



फोन:- 06252-230340  
Email dmwo.esc-bih@nic.in

## समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)


अल्पकालीन निविदा

प्रधान सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-568, दिनांक- 05.09.2016 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास (बालक) छात्रावास, छतौनी हेतु निम्न सामग्री क्रय हेतु दर निर्धारण के निमित्त दिनांक-21.12.2016 को अपराह्न 01:30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन अपराह्न 02:30 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। सामग्री की विवरणी निम्नवत् है।

क्रमांक	सामग्रियों का नाम	अदद
1	चौकी (Iron bed)	86 अदद
2	टेबुल (Iron frame पर plywood with sandmica)	86 अदद
3	आलमीरा (स्टील का) (Half Size)	86 अदद
4	छात्रावास कार्यालय के लिए अलमीरा	01 अदद
5	प्लास्टिक कुर्सी (ब्राडेड)	98 अदद
6	चेम्बर के लिए टेबुल एवं कुर्सी	01 अदद
7	केन्ट आर0ओ0 50 लीटर	03 अदद
8	ब्लू स्टार कुलिंग सिस्टम 40लीटर/घंटा	03 अदद
9	डेग (टब) बड़ा	04 अदद
10	कराही हिंडालियम	04 अदद
11	बाल्टी बड़ा वाला	06 अदद
12	बाल्टी मेडियम/छोटा	12 अदद
13	कलछल बड़ा	12 अदद
14	छलनी बड़ा	12 अदद
15	डबू	04 अदद
16	खान का प्लेट	100 अदद
17	कटोरा	200 अदद
18	ग्लास	100 अदद
19	जग ढक्कन वाला	06 अदद

### निविदा की शर्तें

- कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदा के साथ अग्रघन के रूप में 50000 (पचास हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से संलग्न करना होगा।
- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में देना होगा।
- सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल फर्मों का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
- निविदादाताओं को वैट/आयकर विभाग में निबंधित होने का प्रमाण पत्र एवं अद्यतन कर जमा संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।
- निविदादाता का फर्म Bihar Shop And Establishment Act के तहत निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
- निविदा में अंकित सामग्रियों की दर सभी कर सहित अधिष्ठापन लागत के साथ अंकित करना होगा।
- सामग्री पहुँचाने के लिए अलग से किसी प्रकार का भाड़ा भुगतान नहीं किया जायेगा।
- आपूर्ति आदेश के पश्चात् निर्धारित तिथि तक सामग्री आपूर्ति करना होगा।
- स्वीकृत संवेदक के विपत्र का निष्पादन करते समय स्रोत पर सभी प्रकार के कर की कटौती के पश्चात् अवशेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
- भुगतान की प्रक्रिया सामग्री के गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी। शर्त का उल्लंघन पर स्वीकृत निविदादाता को काली सूची में डालने एवं उनके अग्रघन की राशि जप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
- निविदा में बिना कारण बताये संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने एवं निर्धारित दर पर एक से अधिक निविदादाता को कार्य आवंटित करने का अधिकार जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सुरक्षित रहेगा। (विस्तृत जानकारी के लिए Website-www.eastchamparan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।)

  
06/11/16  
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।